न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4 / 2022(2022 / 81)

1. रंगलाल पुत्र सुखलाल जाति मीणा निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--प्रार्थी

बनाम

1. प्रधान पुत्र कजोड़ जाति जाट निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. रतन पुत्र कजोड़ जाति जाट निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. चिन्ता पुत्री कजोड़ जाति जाट निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. बदाम पुत्री कजोड़ जाति जाट निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. रतनी पुत्री कजोड जाति जाट निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. अनोप पत्नि कजोड़ जाति जाट निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
7. सांवर लाल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी मण्डा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकडी जिला अजमेर।

--अप्रार्थीगण

उपस्थितः-

श्री हेमराज कानावत – वकील प्रार्थी
श्री अब्दुल सलीम गोरी – वकील अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) – अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

-:निर्णयः-

दिनांक 10/1/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः-

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम/कस्बा मण्डा तहसील केकडी में स्थित आराजीयात का जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के अनुसार विवरण निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
135-135	802	1.66	बरानी
	किता 1	रकबा 1.66 हैक्टर	

उक्त आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार अंकन हो रखा है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का भौतिक रूप से कब्जा उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी को अपनी आराजी में फसल काश्त करने हेतु आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिसके अभाव में प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी में काश्त करने, फसल को लाने ले जाने में अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की पश्चिम उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 800 रकबा 0.23 हैक्ट किस्म बारानी 1 स्थित है जो कि सरकारी भूमि है एवं जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की ओर खसरा नम्बर 806 रकबा 1.04 हैक्ट किस्म बारानी जो कि अप्रार्थी संख्या 1

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 7 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है एवं खसरा नम्बर 794 सरकारी आम रास्ता है। प्रार्थी वाद वर्णित अराजीयात में काश्त करने हेतु आवागमन के लिए प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही से अंकित मार्क बी से डी तक (खसरा नम्बर 800 एवं खसरा नम्बर 806 में से) करीब 12 फीट चौडाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है, जिसके लिए निर्धारित डीएलसी दर से राशि जमा कराने के लिए प्रार्थी तैयार है। नक्शा ट्रेस अनुसार मार्क ए से बी पर पाल बनी हुई है जिस पर होकर प्रार्थी बी से डी मार्क रास्ते से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 802 में आसानी से आवागमन कर सकता है। खसरा नम्बर 800 सरकारी भूमि है, लेकिन मौके अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 ने अवैध अतिक्रमण कर काश्त कर रखी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी 802 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 806 एवं 800 में से करीब 12 फीट चौडाई का रास्ता दिलवाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र एवं तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है–

प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात के पास स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 817,790,798 स्थित है तथा पूर्व से अब तक खसरा नम्बर 796 तथा 786 के मध्य रास्ते से सुगमता से आवागमन कर रहा है। खसरा नम्बर 800 व 801 सिवाईचक भूमि है जो प्रार्थी की आराजी खसरानम्बर 802, 790 के मध्य स्थित है जिस पर प्रार्थी ने जबरन कब्जा कर रख है, प्रार्थी खसरा नम्बर 802 से सिवायचक खसरा नम्बर 801 से होते हुए स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 790, 798 में होते हुए खसरा नम्बर 786 की हद से गुजरते हुए सुगमता से वर्षो से आवागमन करता चला आ रहा है उसके बावजूद प्रार्थी खसरा नम्बर 806 जो कि अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है को नष्ट भ्रष्ट करना चाह रहा है जिसका प्रार्थी को कतई अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम मण्डा के खसरानम्बर 802 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 716 रकबा 0.08 हैक्टर गै.मु. रास्ता मण्डा से तितरिया निकलता है।
3. प्रार्थी के खेत के पास से गुजरने वाले स्वीकृत शुदा रास्ते खसरा नम्बर 802 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 797, 798, 806, 800 व 801 में से संलग्न लाल स्याही से दर्शित रास्ते से आवागमन सुविधाजनक रहेगा।
4. प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही है।
5. प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल खसरा नम्बर 797 में से 24 X 4 = 96 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 798 में से 36 X 4 = 144 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 806 में से 116 X 4 = 464 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 800 में से 104 X 4 = 416 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 801 में से 16 X 4 = 64 वर्गमीटर, कुल 1184 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है। जिसमें डी.एल.सी. दर 223512/– रूपये से दोगुना राशि से सिंचत/खातेदारी क्षेत्रफल (खसरा नम्बर 797, 798, 806 में से) 704 वर्गमीटर हेतु प्रतिकर राशि 31470/– रूपये बनती है एवं असिंचित/सिवायचक क्षेत्रफल (खसरा नम्बर 800, 801 में से) 480 वर्गमीटर हेतु प्रतिकर राशि 14893/– रूपये बनती है। इस प्रकार कुल प्रतिकर राशि 46363/– रूपये बनती है।

Scanned with OKEN Scanner

6. खसरा नम्बर 797 व 798 का प्रार्थनापत्र में उल्लेख नही किया गया है। मौके पर संचालित रास्ता में से खसरा नम्बर 797 व 798 में से भी आवागमन हेतु प्रयोग में आने से उक्त खसरा नम्बरान को प्रस्तावित रास्ता में शामिल किया गया है। खसरा नम्बर 797 व 798 के खातेदारान को भी सुना जाना उचित होगा।
7. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किये गये रास्ता अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। खसरा नम्बर 797 व 798 के खातेदारान को सुना गया। दोनो ही आराजी के खातेदारान ने मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 797 व 798 में रास्ता हेतु उपयोग में लिये जाने में अनापत्ति जाहिर की एवं लिखित में सहमति प्रदान की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 797 व 798 में से रास्ता हेतु उपयोग में लिये जाने के संबंध में खातेदारान की सहमती पर मनन किया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु सुविधाजनक एवं निकटतम प्रतीत होता है। अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेशः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम मण्डा खसरा नंबर 802 रकबा 1.66 हैक्टर में आने जाने के लिए आराजी खसरा नंबर 797 में से 96 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 798 में से 144 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 806 में से 464 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 800 में से 416 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 801 में से 64 वर्गमीटर कुल 1184 वर्गमीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर की दोगुना से प्रतिकर राशि 46363/— (छियालिस हजार तीन सौ तिरेसठ रूपये) बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर सिवायचक आंराजी की राशि जमा राजकोष करवाई जावे एवं खातेदारी आराजी हेतु अप्रार्थीगण तथा संबंधित खातेदारान को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम मण्डा के खसरा संख्या 802 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 797, 798, 806, 800, 801 में से मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner